

महत्वपूर्ण

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर-03
दूरभाष.2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406,2551253
Email -encwrbl.mp.@nic.in

-0-

क्रमांक 3314100/17-7/2019/809
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 जून,2019

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) आयुक्त,
भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर
परियोजना, जल संसाधन विभाग
रीवा(04)(मध्यप्रदेश) | (2) आयुक्त,
कमाण्ड क्षेत्र विकास
संचालनालय,जल संसाधन विभाग,
भोपाल(33)(मध्यप्रदेश) |
| (3) समस्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
.....
(मध्यप्रदेश) | (4) वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल (मध्यप्रदेश) |
| (5) परियोजना संचालक,
एम.के.पी.एम.यू.
राजगढ़(32)(मध्यप्रदेश) | |

विषय:- तारांकित प्रश्न क्रमांक-1863 - श्री विश्वास सारंग, उत्तर भेजने की अन्तिम तिथि
06-07-2019 तथा बैठक दिनांक 16-07-2019-सामान्य प्रशासन विभाग

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रश्न (सुलभ संदर्भ हेतु पुनः सम्प्रेषित) विभाग की
वेबसाइट में प्रविष्टि में दर्शाई गई है, के तारतम्य में प्रारूप उत्तर आपसे आज दिनांक तक
अपेक्षित है ।

2- आपकी संरचनान्तर्गत अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नामों की जानकारी मय
वित्तीय भार सहित प्रारूप उत्तर पूर्ण जानकारी सहित साफ्ट कापी में **seaenc2014 @
gamil.com** [ईमेल द्वारा] अनिवार्य रूप से दो दिवस के भीतर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर
उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।


(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री(प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक 3314100/17-7/2019/810
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 27 जून,2019

वेब मैनेजर EIMS [कार्यपालन यंत्री] कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग
भोपाल (01) की ओर विभाग की वेबसाइट में प्रविष्टि हेतु।


(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री(प्रशासन)

11054
26/6/19

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 21-10/2019/पी-1/इकतीस, भोपाल, दिनांक 25/06/2019
प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

विषय:- विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1863 द्वारा श्री विश्वास सारंग
(सा.प्र.वि.)

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1863
द्वारा श्री विश्वास सारंग सत्र जून-जुलाई की छायाप्रति संलग्न है। कृपया प्रश्न
के संबंध में जल संसाधन विभाग से संबंधित जानकारी दो दिवस में निश्चित रूप
से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

25/06/19
(निलय सतभैया)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन,
जल संसाधन विभाग

408
26/6/19

3317

AI

25/6

26/6/19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

25 JUN 2019

कक्ष.....

F-9-10/2019/1/9

24/06/19

प्रश्न

अभिभोजन
24-6-19

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक 06/07/2019

विभाग का नाम सामान्य प्रशासन

पत्र क्र. 1325 सदन में उत्तर देने का दिनांक 16/07/2019

विषय विभिन्न विभागों में हुए स्थानांतरण।

(संबन्धित प्रश्न क्रमांक : 186.3) श्रीविश्वास सारंग

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) 11 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन सी स्थानांतरण नीति लागू है? एक प्रति देते हुए जानकारी दें।
(ख) प्रश्नांश (क) के तहत 11 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक सभी विभागों के विभिन्न वर्गों में कितने स्थानांतरण हुए हैं? विभागावार, सर्वगण्य, स्थानांतरणवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किये गये स्थानांतरणों में कितने स्थानांतरण प्रशासनिक हुए व कितने स्थानांतरण स्वच्छा से हुए हैं तथा कितने स्थानांतरण अन्य कारणों से हुए हैं? अन्य अवयव जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) व के तहत इतने धोक में और बार-बार किये गये स्थानांतरणों का कारण क्या था? योकवद्ध स्थानांतरणों से प्रदेश पर कितना वित्तीय भार बढ़ा है? क्या स्थानांतरण नीति को नजर अंदाज कर स्थानांतरण किये गये हैं? कारण दें। नियम बतायें।

उत्तर:

प्रश्न
श्री विश्वास
25/6/19

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

वस्त्रम गवर्न-गोपाल-382004

पत्र क्र. 117/2019/क/3
जल संसाधन विभाग, मंत्रालय
दिनांक 25.06.2019

पत्र क्र. 8 एवं 9-10/2019/1/9

गोपाल दिनांक 24.06.2019

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
महाराष्ट्र शासन
शासन के सामान्य विभाग
मंत्रालय गोपाल।

2 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, MOPC शासन सामान्य प्रशासन विभाग
की ओर सूचनाएं अपेक्षित।

--0--

प्रश्न की प्रति अपेक्षित तुर अनुसंधान है कि कृपया प्रश्न का
विभागावार/विन्दुवार पूर्ण उत्तर दिनांक 01.07.2019 तक जमा किया जाए।
इस विभाग को भिजाने का कार्य करें।

अभिभोजन

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अभिभोजन
क्या प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
पत्र क्र. 1215/क
25/6/19
पी-1 द्वारा